

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 5(8)2023/कार्मिक/प्रमुखसं/1407-1432 दिनांक : 10/05/2023

निमित्त,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.पी. जयपुर/निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर)/मुकन्दरा(कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक, वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी, कोटा/एफ.पी.आर.पी, जयपुर।
9. निदेशक, परिचालन, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।

विषय:- एस.बी.सि.रि.पि संख्या 3620/2008 देवकृष्ण दरोगा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2012 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सि.रि.पि संख्या 3620/2008 देवकृष्ण दरोगा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2012 के क्रम में विभाग द्वारा प्रस्तुत रि कॉल प्रार्थना-पत्र संख्या 113/2016 में आदेश दिनांक 08.05.2023 पारित कर पूर्व में जारी आदेश दिनांक 06.02.2012 को रि कॉल कर लिया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.05.2023 एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह की राय दिनांक 09.05.2023 के क्रम में देवकृष्ण दरोगा से संबंधित सभी समान प्रकरणों में जिन कार्यालयों से कार्मिकों (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) को भुगतान कर दिया गया है उनसे रिकवरी की जानी है।

क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 9 पर अंकित कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की निम्न संकलित सूचनायें दिनांक 19.05.2023 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें :-


1. देवकृष्ण दरोगा से संबंधित सभी समान प्रकरणों में कार्मिकों (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) को किये गये भुगतान का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रेषित करें -

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अवमानना/रिट संख्या	निर्णय दिनांक	याचिकाकर्ता का नाम	भुगतान राशि	भुगतान दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

2. अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह की राय दिनांक 09.05.2023 के अनुसार देवकृष्ण दरोगा से संबंधित सभी समान प्रकरणों में कार्मिकों (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) को किये गये भुगतान की रिकवरी हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :-

1. माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.05.2023 की प्रति
2. अति. महाधिवक्ता श्री संदीप शाह की विधिक राय दिनांक 09.05.2023 की प्रति

भवदीय,



(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 5(8)2023 / कार्मिक / प्रमुवसं /

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप वन संरक्षक / कार्य आयोजना अधिकारी / वन बन्दोबस्त अधिकारी / भू-संरक्षण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपर दिये गये निर्देशों के अनुसार सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें। पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।
3. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित किये जाने हेतु।


(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर